

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.6.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनु अंसारी पिता-मो० रफुद्दीन अंसारी ग्राम-लालकोठी पो०-थाना-दानापुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	अनिल कुमार पिता-रामचन्द्र साव ग्राम-दलीसमनचक पो०-थाना-बाढ़ जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	कौशर शमा पति-मो० युसुफ खान ग्राम-नई बाजार पो०-थाना-भगवान बाजार जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	शांति देवी पति-योगेन्द्र राम ग्राम-दीघा घाट पोस्ट आफिस रोड, पो०+थाना-दीघा जिला पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	सुदमीया देवी पति-हरेन्द्र राम ग्राम-रन्दाहा, पो० बालाटाड थाना-राजापाकर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	काजु गोस्वामी पिता-जय किशन गोस्वामी ग्राम-कादो गांव पो०-बीबी भरतपुर थाना-सुखानी जिला-किशनगंज	कैंसर रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।

7	मास्टर केशव राज पिता-प्रवीण कुमार सिंह ग्राम-जगरनाथपुर पो0-फटीकबाड़ा थाना-महनार जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	नवीन कुमार पिता-स्व0 नागेन्द्र कुंवर ग्राम+पो0-किशुनपुर थाना-जलालपुर जिला-छपरा, सारण	आंत रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			कुल 6,20,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) का क्रास चेक सं०.....
...684269... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अदिलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1035(14)

पटना, दिनांक 13.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री अवधेश सिंह
मा० स० वि० स० / श्री नौशाद आलम मा० सचेतक / सभी संबंधित मरीजों को / आई० टी० मैनेजर,
स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिवचन राय पिता-रामजी राय ग्राम-सुरौघा पो०-भिटठी शाहबुद्धीन थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 687265 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....684265...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1053 (14)

पटना, दिनांक 14.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वा० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/18
निदेशक प्रमुख
श्री. राजेश

सं० सं०- 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	श्रीनाथ शाही पिता-देव नारायण शाही ग्राम-चोचहा पो०-अनिरुद्ध बेलसर थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	बच्चु शर्मा पिता-शत्रुघ्न शर्मा ग्राम-पो०+थाना-सालीमपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	अनुज कुमार पिता-विश्व मोहन कुमार ग्राम-शोभे परसा पो०+थाना-परसा जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	मालती कुमारी पति-सुभाष चौधरी ग्राम-हरपुर, पो०-बसुधर थाना-इटादी जिला-बक्सर	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
5	मीना देवी पति-राम विलास राय ग्राम-चक्की गोपालपुर पो०-चिरैया टोक थाना-बछवाड़ा जिला-बेगूसराय	कैंसर रोग	₹ 20,000 /-(बीस हजार) स्वीकृत।

२

6	मोहन साव पिता-रामजी साव ग्राम-आजाद नगर पो0- दोहरा थाना-नारदीगंज जिला नवादा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,90,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~684267~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....~~684267~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1040(14)

पटना, दिनांक 13.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित मरीजों/ श्री अशोक कुमार सिंह मा0 स0वि0स0/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/18
निदेशक प्रमुख